



228/1

दूरधारा— 2206709
2206710

नव बोतला केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 1737/05/76/एक/2015-16
रोड में,

दिनांक : 29 जुलाई 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सुडा द्वारा आपके जनपद (दुड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में स्थीरूप परिवर्तनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईफॅक्सरी कोड	घनराशि
एच०ड००५००३०० बैंक	02981000135746	IFSC Code HDFC0000298	234.703
(घनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय फिला की घनराशि का प्रेषण
1	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	गोदानपुरा में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.702
2	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	रत्नपुरा में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.897
3	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	न्यू अशोक नगर, कल्याणपुर में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	58.731
4	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न० निगम कानपुर	गोविन्द नगर पार्ट-ए में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.741
5	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न० निगम कानपुर	गोविन्द नगर पार्ट-दी में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.918
6	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न० निगम कानपुर	गोविन्द नगर पार्ट-री में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.812
7	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	न०नि० कानपुर नगर के रोशन नगर में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	46.371
8	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० यितूर	अर्जीमुल्ता नगर यितूर में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.225
9	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० घाटपुर	आँची मोहाल पूर्वी पार्ट-री में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.071
10	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० घाटपुर	आँची मोहाल पूर्वी पार्ट-ए में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.235
	योग				234.703

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में री०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये।



228/2

दूलग- 2206700
2206710

नव गोदान केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 1- उप्रेत सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरिताओं तथा मिलन वरिताओं में सीधीरीय रोड अथवा इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के परचात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर साक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवगुप्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य राजकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है राता न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शाराकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में रखीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य राम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त सामय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि द्वारा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कराया जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही सामय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व वयनियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटीती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवगुप्त की जा रखी धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि को देरावृत्ति हो रही हो तो उराकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संगुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगाम के सापेक्ष द्वितीय किलत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुपम्य सेन्ट्रेज की धनराशि एवं द्वितीय किलत में 20 प्रतिशत वी धनराशि रोकवन शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भीतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(ललित प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतीतिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधिकारी अभियन्ता—सूडा।
3. कम्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(ललित प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक